


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हु
-------------	------------------------------------	--

18/3/2021 पत्रावली भाज पेश हुई। अपीलवाट वकील व रैस्पोंडेंट्स उपस्थित। अपीलवाट वकील द्वारा प्रार्थना पत्र व बहस में अग्र किया कि उक्त पंचायत मालवांग द्वारा अपीलवाट सेप्पा 02 के पत्र में अरे स्पूटेशन सेप्पा 1130 की खसखस करने की कार्यवाही अपीलवाट के पीठ पिछे की गई है। जसकी जावकारी दिनांक 15.12.2020 को उक्त आरजी की नकल हल्का पत्रवाही से प्राप्त करने पर हुई। इसमें उक्त स्पूटेशन अपील पेश करने में हुये अरे को केंद्रन किया जाना अपायहित में आवश्यक है।

रैस्पोंडेंट्स द्वारा जवाब व बहस में बताया कि उक्त स्पूटेशन सेप्पा 1130 के खसखस के आधार पर भरा गया था। जो उक्त पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया गया था। अजापी को उक्त स्पूटेशन अपील को अंदर स्पाद शुमार करने का बत प्रार्थना पत्र का बत कोरी आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलवाट वकील व रैस्पोंडेंट्स के बहस के तर्कों पर मनन करने पर अपीलवाट की अपील अंदर स्पाद किया जाना अपायहित प्रतीत होने से अपीलवाट की अपील को अंदर स्पाद शुमार किया जाता है। अपीलवाट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 स्पाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार अंदर नम्बर से अग्र है। पत्रवाट अपना-अपना खची बहन करे। निर्णय करे उजलास हुनला गन।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रानीवाहा

